मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर (म.प्र.)

:: विज्ञप्ति ::

क्रमांक/स्था./03–ए/2477 इन्दौर, दिनांक 16/12/2016

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर पर चतुर्थ श्रेणी आकस्मिकता निधि से वेतनभोगी कर्मचारी (कलेक्टर रेट/संविदा प्रवर्ग) {(1) बढ़ई (2) रसोइया (3) कपड़े धोने वाले (4) भृत्य एवं (5) इलेक्ट्रीशियन की योग्यता रखने वाले} की सीधी भर्ती/ नियुक्ति हेतु विज्ञापन।
(अभ्यर्थी पदवर्ग (1), (2), (3), (4), एवं (5) में से केवल एक पदवर्ग हेतु ही आवेदन कर सकता है)

आवेदन प्रस्तुत किये जाने की अंतिम तिथि : 10.01.2017

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर पर चतुर्थ श्रेणी आकस्मिकता निधि से वेतनभोगी कर्मचारी (कलेक्टर रेट/संविदा प्रवर्ग) {(1) बढ़ई (2) रसोइया (3) कपड़े धोने वाले (4) भृत्य एवं (5) इलेक्ट्रीशियन की योग्यता रखने वाले} की सीधी भर्ती/नियुक्ति हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों के आवेदन–पत्र निर्धारित प्रारूप में सभी आवश्यक प्रमाण–पत्रों की छायाप्रति सहित आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन–पत्र **अंतिम तिथि 10.01.2017 की शाम 5.00 बजे तक सीधे प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, म.प्र. उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर** के कार्यालय में प्राप्त होना चाहिए। आवेदन के लिफाफे के ऊपर विज्ञापन कमांक एवं आवेदित पद आवश्य अंकित किया जाये।

पदनाम, वेतनमान तथा अर्हताऐं

पदनाम	**वेतनमान**	**न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता**	**वांछित तकनीकी आर्हता**
आकस्मिकता निधि से वेतनभोगी कर्मचारी (रसोइया/वाहन चालक/ कपड़े धोने वाले/बढ़ई/ इलेक्ट्रीशियन/भृत्य की योग्यता रखने वाले) (कलेक्टर रेट/संविदा) प्रवर्ग।	कलेक्टर रेट	आठवीं कक्षा (मान्यता प्राप्त बोर्ड/केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकार/सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय से उत्तीर्ण ।	लाइट मोटर व्हीकल चलाने का वैध ड्राईविंग लाईसेंस

टीपः– आवेदन प्रस्तुत करते समय आवेदक को उपरोक्तानुसार दर्शित न्यूनतम शैक्षणिक/ तकनीकी अर्हतायें आवेदन की अंतिम तिथि तक उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

पदवर्ग :– चतुर्थ श्रेणी आकस्मिकता निधि से वेतनभोगी कर्मचारी (कलेक्टर रेट/संविदा प्रवर्ग {(1)बढ़ई (2) रसोइया (3) कपड़े धोने वाले (4) भृत्य एवं (5) इलेक्ट्रीशियन की योग्यता रखने वाले}के पदों का आरक्षण रोस्टर :–

स. क्र.	अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	योग
1	15	03	03	02	23

2. आयु की गणना :–

आवेदक की आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि अर्थात् दिनांक 01.01.2017 को न्यूनतम 18 वर्ष की आयु पूर्ण होना आवश्यक है, उक्त तिथि पर ही अधिकतम आयु सीमा की गणना, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी–3–5/2001/3/1 भोपाल, दिनांक 17 अगस्त, 2004 के अनुसार, निम्नानुसार होगी :–

(1) पुरूष आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	= 35 वर्ष
(2) पुरूष आवेदक (आरक्षित वर्ग) (अनु.जाति/अनु.जनजाति/अ.पि.वर्ग)	= 40 वर्ष
(3) महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	=35+10=45 वर्ष
(4) महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग) (अनु.जाति/अनु.जनजाति/अ.पि.वर्ग)	=35+5+10=50 वर्ष
(5) महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग) (विधवा, परित्यकता, तलाकशुदा)	=35+5+10=50 वर्ष
(6) विधवा, परित्यकता, तलाकशुदा महिला आवेदक (अनु.जाति/अनु.जनजाति/अ.पि.वर्ग)	=35+5+10+5=55 वर्ष

नोटः– विकलांगों एवं भूतपूर्व सैनिकों को भी मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार आयु–सीमा में छूट दी जायेगी।

3. परीक्षा शुल्क :–

अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिये रूपये 250/– परीक्षा शुल्क एवं आरक्षित वर्ग (अनूसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/विकलांग) के उम्मीदवारों हेतु रूपये 200/– परीक्षा शुल्क देय होगा। परीक्षा शुल्क की राशि प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, म.प्र. उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर के नाम से इन्दौर में अदायगी योग्य बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट से स्वीकार की जावेगी। डिमाण्ड ड्राफ्ट आवेदन–पत्र के साथ संलग्न किया जावे तथा डिमाण्ड ड्राफ्ट के पीछे अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, निवास का पता व मोबाइल नंबर का आवश्यक रूप से उल्लेख करें।

4. अनुवीक्षण (स्क्रीनिंग)/परीक्षा (उपरोक्त सभी प्रवर्गों के पदों हेतु) :– (30 अंक)

अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदन–पत्रों की जांच उपरांत पात्र एवं अपात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर म.प्र. उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर के सूचना पटल पर चस्पा की जावेगी और म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाइट www.mphc.in पर डाली जावेगी। अनुवीक्षण (स्क्रीनिंग)/ परीक्षा हेतु पृथक से कोई पत्र अभ्यर्थी को नहीं भेजा जावेगा। अनुवीक्षण (स्क्रीनिंग)/परीक्षा समिति के समक्ष म.प्र. उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर में अभ्यर्थी को समस्त अर्हकारी मूल प्रमाण–पत्रों के साथ मूल पहचान–पत्र सहित उपस्थित होना अनिवार्य होगा। साक्षात्कर के समय आरक्षित वर्ग के समस्त अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी (जो अनुविभागीय अधिकारी से निचले स्तर का न हो) द्वारा प्रदत्त स्थायी जाति प्रमाण–पत्र मूलतः एवं सत्यापित पठनीय छायाप्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है। अभ्यर्थियों की संख्या या अन्य समूचित कारण से अनुवीक्षण (स्क्रीनिंग)/परीक्षा से छूट प्रदान की जा सकती है। अनुवीक्षण (स्क्रीनिंग)/परीक्षा में प्राप्त अंकों को अंतिम चयन सूची तैयार करते समय नहीं जोड़ा जावेगा।

5. साक्षात्कार :– (20 अंक)

अनुवीक्षण (स्क्रीनिंग)/परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की सूची 1:4 में तैयार कर म.प्र. उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर के सूचना पटल पर चस्ता की जावेगी और म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाइट www.mphc.in पर डाली जावेगी, ऐसे अभ्यर्थी मुख्य साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने के पात्र होंगे, लेकिन उन्हें पृथक से कोई पत्र नहीं भेजा जावेगा। वे उच्च न्यायालय के सूचना पटल पर चस्पा की गई सूची और उच्च न्यायालय की वेबसाइट www.mphc.in पर डाली गई सूची देखकर जानकारी प्राप्त कर सकेंगें। मुख्य साक्षात्कार 20 अंक का होगा। मुख्य साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर ही मेरिट के अनुसार केटेगरी वाईज अभ्यर्थियों की चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची तैयार की जायेगी।

6. **चयन एवं अभ्यर्थिता के संबंध में अन्य आवश्यक जानकारी :–**

(1) अभ्यर्थी केवल एक पदवर्ग हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। यदि अभ्यर्थी एक से अधिक पदवर्ग हेतु आवेदन प्रस्तुत करता है तो उसकी अभ्यर्थिता निरस्त हो जावेगी और उसके आवेदन/आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

(2) वही अभ्यर्थी नियुक्ति के लिये पात्र होंगे जो मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 द्वारा निर्धारित समस्त मापदण्ड की पूर्ति करते हों एवं नियम 6 के अनुसार नियुक्ति के लिये अपात्र न हो। मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम 6 के अनुसार नियुक्ति के लिए वह उम्मीदवार अपात्र होगा जो निम्न में से कोई हो:–

(क) पुरूष उम्मीदवार, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों। इसी प्रकार महिला उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है। अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है, तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।
(ख) जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं पाया जाए।
(ग) जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो।
(घ) जिसकी दो से अधिक संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ है। (परन्तु निरर्हित नहीं होगा यदि एक संतान के जीवित रहते आगामी प्रसव में दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है)

(3) पदों की संख्या में कमी/वृद्धि हो सकती है अर्थात् पदों की संख्या परिवर्तनीय है।

(4) चयन प्रक्रिया को संशोधित या निरस्त करने का पूर्ण अधिकार माननीय मुख्य न्यायाधिपति उच्च न्यायालय, जबलपुर को है।

(5) अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण–पत्रों के निरीक्षण व सत्यापन की कार्यवाही मुख्य साक्षात्कार दिनांक को भी होगी और उन्हें मूल पहचान पत्र के साथ उपस्थित होना होगा।

(6) यदि कोई अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तें पूरी न करते हुये भी आवेदन प्रेषित करता है या उसका आवेदन पत्र त्रुटिपूर्ण पाया जाता है अथवा उसमें असत्य जानकारी दी है अथवा कोई जानकारी नहीं दी है अथवा किसी जानकारी को छिपाया है तो ऐसी स्थिति में किसी भी स्तर/प्रक्रम पर उसका प्रवेश, चयन और उसकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी तथा इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं होगा।

(7) आरक्षित प्रवर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग) के अभ्यर्थी मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ 7–2/96/आ.प्र./एक, दिनांक 01.08.1996 एवं क्रमांक एफ– 7–2/96/आ.प्र./एक, दिनांक 12.03.1997 में दिये गये निर्देशों के अध्यधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण–पत्र ही प्रस्तुत करें अन्यथा उनकी अभ्यर्थिता अनारक्षित प्रवर्ग के तहत विचार में ली जावेगी।

(8) विज्ञप्ति प्रकाशन तिथि के पूर्व एवं अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन–पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

(9) अनुवीक्षण/साक्षात्कार दिनांक की सूचना म.प्र. उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर के सूचना पटल एवं म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाइट www.mphc.in पर प्रदर्शित की जावेगी। साक्षात्कार हेतु पृथक से सूचना/प्रवेश–पत्र जारी नहीं किया जावेगा।

(10) यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध कोई दाण्डिक प्रकरण किसी पुलिस थाने/न्यायालय में विचाराधीन हो अथवा किसी न्यायालय से निराकृत हो चुका हो अथवा उसे दोषसिद्ध कर दण्डित किया गया हो तो निर्णय/संबंधित अधिनियम एवं धारा सहित प्रकरण क्रमांक आदि की जानकारी अनिवार्यतः दें।

5/6.12.2016.

(देवेन्द्र सिंह सोलंकी)
प्रिंसिपल रजिस्ट्रार

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय : खण्डपीठ इन्दौर

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर पर, चतुर्थ श्रेणी आकस्मिकता निधि से वेतनभोगी कर्मचारी (कलेक्टर रेट/संविदा प्रवर्ग) {(1) वाहन चालक, (2) रसोइया, (3) कपड़े धोने वाले (4) भृत्य (5) इलेक्ट्रीशियन एवं (6) बढ़ई की योग्यता रखने वाले की सीधी भर्ती/नियुक्ति हेतु आवेदन–पत्र।

प्रति,

श्रीमान् प्रिंसिपल रजिस्ट्रार महोदय,
म.प्र. उच्च न्यायालय,
खण्डपीठ इन्दौर (म.प्र.)

पदवर्ग का नाम, जिस हेतु आवेदन कर रहे हैं ....
(अभ्यर्थी केवल एक पद प्रवर्ग हेतु ही आवेदन कर सकता है)

1. आवेदक का नाम श्री/श्रीमति/कु. ....

2. लिंग/Sex (सही खाने में √ निशान लगायें) : पुरूष/ Male स्त्री/Female

3. पिता/पति का नाम : ....

4. जन्मतिथि : .... दिनांक 01.01.2017 को आयु .... वर्ष .... माह ....दिन

5. श्रेणी/केटेगरी : अनारक्षित/UR, अजा/SC, अजजा/ST, अपिव/OBC

6. क्या आप अस्थिबाधित विकलांग हैं ? (हां या नहीं में उत्तर दें) ....

7. क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं ? (हां या नहीं में उत्तर दें) ....

8. क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं ? (हां या नहीं में उत्तर दें) ....

9. क्या आप आयु सीमा में छूट का लाभ लेना चाहते हैं ? (हां या नहीं में उत्तर दें) ....

यदि हां, तो छूट का आधार ....

10. स्थायी पता/Permanent Address ....
(जिला, प्रदेश एवं पिनकोड सहित) ....
....
....

11. पत्राचार का पता/Correspondence Address ....
(जिला, प्रदेश एवं पिनकोड सहित) ....
....
....

12. (ए) मोबाईल/फोन नम्बर (यदि हो, तो) : ....
12. (बी) आधार कार्ड नम्बर (यदि हो, तो) : ....

13. शैक्षणिक योग्यता का विवरण:

स.क.	परीक्षा का नाम	बोर्ड/स्कूल/संस्था	वर्ष	प्राप्तांकों का प्रतिशत	टीप यदि कोई हो उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण
1	आठवीं				
2	दसवीं				
3	अन्य कोई शैक्षणिक/ तकनीकी योग्यता				
4	वहन चालन की योग्यता, लायसेंस का विवरण				

15. पूर्व अनुभवः–

स.क.	कार्य का पूर्व अनुभव (यदि कोई हो तो)	कार्यस्थल का पता	अवधि	प्रमाण–पत्र (यदि कोई हो तो)
1				
2				

15. क्या आपके विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण किसी पुलिस थाना/न्यायालय में अनुसंधान/विचारण हेतु लंबित रहा है अथवा दोषसिद्ध/दण्डित किया गया हैं :– ....

स.क.	प्रकरण क्रमांक	धाराऐं	न्यायालय का नाम	नियत/निर्णय दिनांक	रिमार्क/दण्ड
1					
2					

16. परीक्षा शुल्क का विवरण :–

डिमाण्ड ड्राफ्ट का नंबर	जारी करने का दिनांक	राशि	अदाता बैंक का नाम

निम्नलिखित दस्तावेजों/ प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां आवेदन के साथ संलग्न किया जाना हैं:– अभ्यर्थी द्वारा संलग्न किए गए दस्तावेज/प्रमाण–पत्र के सामने (√) अथवा संलग्न नहीं किये गये तो (X) का निशान लगाऐं –

1	जन्म प्रमाण–पत्र (यदि न हो तो बोर्ड परीक्षा की अंकसूची/प्रमाण–पत्र)	
2	जाति प्रमाण–पत्र : अजा/अजजा/अपिव हेतु (अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रदत्त)	
3	मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण–पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त)	
4	भूतपूर्व सैनिक/अस्थिबधित विकलांग अभ्यर्थी से संबंधित सक्षम अधिकारी का प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो)	
5	शैक्षणिक/तकनीकी योग्यताओं संबंधी प्रमाण–पत्र	
6	अन्य प्रमाण–पत्र (ड्राइविंग लायसेंस, अनुभव प्रमाण–पत्र इत्यादि)	
7	आवेदक का एक नवीन एवं रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ	

स्थान : .... आवेदक के हस्ताक्षर ....

दिनांक : .... नाम ....

घोषणा

मैं यह घोषणा करता/करती हूं कि मैंने परीक्षा से संबंधित सभी नियमों एवं विज्ञापन को अच्छी तरह पढ़ व समझ लिया है। उपरोक्त समस्त जानकारी मेरे ज्ञान व विश्वास के अनुसार सही व संपूर्ण है। यदि मेरा आवेदन विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप निर्धारित समय से नहीं पहुंचता है अथवा किसी भी स्तर पर आवेदन में कोई भी जानकारी असत्य और/अथवा अपूर्ण पायी जाती है अथवा मेरे द्वारा कोई जानकारी छिपाई जाती है तो मेरे विरुद्ध कार्यवाही की जाकर मेरा आवेदन किसी भी प्रक्रम पर निरस्त कर, मेरा प्रवेश, चयन और अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकती है अथवा मुझे पद से हटाया जा सकता है।

स्थान : .... आवेदक के हस्ताक्षर ....

दिनांक : .... नाम ....